



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्या: 203 / 18

निर्णय दिनांक:- 07.01.2019

1. मंगलाराम पुत्र मालुराम जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ़ तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

—रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22-09-2014  
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थित:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 22-09-2014 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील छत्तरगढ़ के चक 3 केएमटीएम का मुरब्बा नम्बर 1/1 में 25 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि उसकी

खातेदारी भूमि है तथा रिकार्ड में दर्ज है। इस भी पर पूर्व में कोई कटाणी मार्ग अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं चल रहा है। ना ही कोई कटान का रास्ता अंकित है। केवल मात्र पगडण्डी है जो अपीलांट व उसके परिवार के आने-जाने के काम में आती है। राजस्व रिकार्ड में कोई कटान का रास्ता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना तथ्यों पर कोई गौर किये इस पगडण्डी को गैरमुमकिन रास्ता मानकर राजस्व रिकार्ड में व नक्शों में अंकन करने के आदेश पारित कर दिये गये जो विधि विरुद्ध आदेश है। अपीलांट की उपरोक्त खातेदारी भूमि में से पगडण्डी को कटान का रास्ता राजनैतिक द्वेषता के कारण अंकन करवाया गया है। अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ौसियों के कोई बयान लिये गये ना ही अपीलांट को रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्य आदेशों का हवाला देकर तमाम कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत द्वारा जिस आदेश का हवाला देकर रास्ते का अंकन किया गया है उक्त आदेश केवल राजकीय भूमि पर ही अंकन करने के आदेश है ना की किसी की खातेदारी भूमि पर रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक हैं अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र राज्य आदेश से कई खातेदारों की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश एक जाई आदेश से पारित किये गये है। जबकि रास्ते का अंकन किया जाना थ तो प्रत्येक की अलग-अलग पत्रावली मुर्तिक करनी चाहिए थी तथा उन्हें

सुना जाना आवश्यक था। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत ने अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से कटान का रास्ता अंकन करने के आदेश पारित किये गये है उक्त आदेश से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट नहीं ली गई, बिना रिपोर्ट के ही कटान के रास्ते का अंकन करने का आदेश पारित किया गया है। ऐसा आदेश आधारहीन व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। वादगत् भूमि पर पूर्व में किसी प्रकार का कटान का रास्ता नहीं था। अदालत मातहत द्वारा राज्य आदेश का हवाला देते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से कटान का रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए व बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन-फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। ऐसा आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016-12 स्पत्र पेज 663 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील तहसीलदार छत्तरगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1683 दिनांक 19-09-2014 के अनुसार गैर मुमकिन रास्तों का कटान मुताबिक चक प्लान होना था जो दर्ज रिकार्ड नहीं हुआ व सेटलमेंट व चक प्लान के अनुसार वादगत् भूमि से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। मियांद के बिन्दु पर राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 22-09-2014 के विरुद्ध अपील 07-05-2018 को प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के लिए कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि में आवागमन हेतु स्थाई रास्ता लम्बे समय से चल रहा था परन्तु राजस्व रिकार्ड में व नक्शों में अंकित नहीं था। राज्य सरकार द्वारा ऐसे स्थाई रास्तों का नक्शों व जमाबन्दी में अंकन करने हेतु दिनांक 10-08-2016 को परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जारी किया गया। उक्त परिपत्र की पालना में प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु उपयोग हो रहे स्थाई रास्ते को अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से राजस्व रिकार्ड व नक्शों में अंकित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील राज्य आदेश की अनुपालना में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश कतई गैरकानूनी आदेश नहीं है।

जहाँ तक अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि उन्हें उक्त रास्ते की एवज में कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि मुआवजों का प्रावधान किसी नये रास्ते को कायम किये जाने की स्थिति में लागू होता है। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कोई नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान नहीं किये गये है, वरन् पूर्व में चालू कटान के रास्ते को कायम रखते हुए राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शों में अंकन के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधि अनुसार व

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में पारित किया गया आदेश है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में जहाँ तक मियांद का बिन्दु है इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा आदेश में मियांद का बिन्दु बाधक नहीं है। न्याय की यह मंशा रही है कि जहाँ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहाँ मियांद के बिन्दु को कण्डोन करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि तहसील छत्तरगढ़ के चक 3 केएमटीएम के मुरब्बा नम्बर 1/1 में 25 बीघा भूमि में से गैरमुमकिन रास्ता अंकित करने के आदेश तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1683 दिनांक 19-09-2014 के अनुसार गैर मुमकिन रास्तों का कटान मुताबिक चक प्लान होना था जो दर्ज रिकार्ड नहीं हुआ व सेटलमेंट व चक प्लान के अनुसार वादगत भूमि से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से पूर्व में कटानी रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शों में अंकन के आदेश पारित किये गये हैं। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई गौर किया जाना साबित नहीं है कि क्या वादगत भूमि पर पूर्व में मौके पर कोई रास्ता कायम था अथवा नहीं?

(4) अदालत मातहत द्वारा जिस राज्य आदेश का हवाला देते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है उक्त आदेश की मंशा यह थी कि जो रास्ते पूर्व में चालू है तथा विवादित नहीं है उन्हें दर्ज किया जावे। किन्तु जो रास्ते विवादित है उन्हें दर्ज किये जाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार से जाँच व मौका रिपोर्ट लेकर सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांत को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया नाही संबंधित तहसीलदार से सभी पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई। जबकि रास्ते के प्रकरण में सभी पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार की जानी अपरिहार्य है। जैसा कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में आरआरटी 2016-17 स्प. पेज 663 में यह अभिनिर्धारित है कि:-

Rajasthan Land Revenue Act, 1955 Sec. 76 - SDO granted gair mumkin rasta in chak 9 DKD - No cogent meterial to prove the rasta as public - No notice issued to tenant of chak & opportunity of hearing not given - None of the tenant filed the application & Suo mota granted way - Held, Order is illegal & Set aside. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(5) अदालत मातहत द्वारा रास्ते के प्रकरणों में इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर कोई गौर किये बिना मात्र राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधि के परिप्रेक्ष्य में पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 22-09-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर